न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 31/2018

अपीलान्ट्स

1. बस्तीराम पुत्र लादाराम, जाति जाट
2. रणछोडराम पुत्र लादाराम
   निवासीगण बोरानाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. भगवती देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति माहेश्वरी निवासी माहेश्वरी कोलोनी बालोतरा जिला बाड़मेर।
2. तहसीलदार लूणी।
3. पटवारी हल्का सालावास, तहसील लूणी।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार लूणी दिनांक 06.03.2018 जिसके द्वारा पडोसी खातेदारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना भूमि खसरा नंबर 8/4, 8/5, 9/5 व 9/4 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा ग्राम सलावास की खदीम और सीमाकन का आदेश दे दिया।

— — —

उपस्थिति :

1. अपीलान्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री चेतनराम जाखड़।
2. रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से अभिभाषक श्री लादूराम पूनिया।

—: आदेश :— **दिनांक :—** 26.07.2018

यह अपील अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार लूणी दिनांक 06.03.2018 जिसके द्वारा पडोसी खातेदारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना भूमि खसरा नंबर 8/4, 8/5, 9/5 व 9/4 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा ग्राम सलावास की खदीम और सीमाकन के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 27 रकबा 75.07 बीघा ग्राम सलावास में आई हुई है। जिसमें अपीलान्ट अपने खेत में आया—जाया करते थे। रास्ते के पश्चिम में भूमि खसरा नं0 1, 8, 9, 10 व 11 आई हुई है। खसरा नं0 8 का रकबा 26.11 बीघा था, जिसमें से खसरा नं0 8 रकबा 17.11 बीघा, खसरा नं0 8/8 रकबा 1.08 बीघा कुल रकबा 18.19 बीघा रीको लिमिटेड बोरानाडा की खातेदारी में दर्ज है। इसी तरह खसरा नं0 9 में से 18.02 बीघा रीको के लिए आवाप्त कर ली गई थी।

खसरा नं0 1, 8, 9, 10, 11 में से वर्ष 1977—78 के आसपास बोरानाडा से सलावास जाने के लिए सड़क का निर्माण कर दिया गया। इससे पहले मूढिया सड़क का

निर्माण किया गया था। सड़क की चौडाई 24 फुट मानकर खसरा नं0 1, 8, 9, 10, 11 रकबा दर्ज किया गया। बाद में सड़क के पास बोरानाडा से फैक्ट्रियों से पानी की निकासी के लिए खसरा नं0 1, 8, 9, 10, 11 में से 18 फुट चौडे नाले का निर्माण कर दिया गया और सड़क की चौडाई दुगुनी कर डामर सड़क का निर्माण कर दिया। सड़क के पानी की निकासी के लिए 4 फुट चौडे नाले का निर्माण किया गया लेकिन राजस्व रेकर्ड में इसका अमल–दरामद नहीं है। खसरा नं0 1, 8, 9, 10, 11 में से सड़क व नाले निकाले जाने से खसरा नं0 1, 8, 9, 10, 11 का रकबा मौके पर कम हो गया लेकिन इन खसरा नं0 के खातेदारों में राजस्व रेकर्ड में गलत रकबे अनुसार अपनी भूमि का विभिन्न व्यक्तियों का बेचान कर दिया तथा राजस्व कर्मचारियों ने बिना मौका देखे व बिना नाप किये गलत तरीके से नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया और तरमीम नहीं की गई। गलत इन्द्राज के आधार पर खसरा नं0 2 व 8/6 के खातेदार श्रवणराम पुत्र भीकाराम विश्नोई ने अपनी खरीद की गई भूमि का रकबा पूरा करने के लिए राजस्व कर्मचारियों से मिलकर खसरा नं0 8/2 व 8/6 का नाप व सीमाकंन करवाने के लिए 04.01.2018 को तहसीलदार, लूणी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार, लूणी ने सीमाज्ञान कराने के आदेश दिये। भू अभिलेख निरीक्षक कांकाणी ने पडौसी खातेदार को नोटिस एवं सूचना दिये बिना तथा बिना किसी जांच एवं नामान्तरकरण एवं राजस्व रेकर्ड देखे, दिनांक 18.01.2018 को मौकाफर्द बनाकर प्रस्तुत कर दी।

श्रवणराम के प्रार्थना–पत्र पर भूमि का नाप व सीमाज्ञान की मौकाफर्द के अनुसार पत्थरगढी के लिए दिनांक 01.02.2018 को उपखण्ड अधिकारी, लूणी को प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिस पर बिना किसी जांच किये बिना दिनांक 01.02.2018 को उपखण्ड अधिकारी, लूणी ने तहसीलदार, लूणी को पत्थरगढी के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के न्यायालय अपील पेश की। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, लूणी के आदेश दिनांक 01.02.2018 की पालना एवं प्रभाव स्थगित रखने का आदेश दिया गया।

खसरा नं0 9 के खातेदारों ने गलत रकबे का बेचान कर दिया एवं खसरा नं0 8/4, 8/5, 9/3, 9/4 व 9/5 कुल रकबा 4.02 बीघा के खातेदार ने रेकर्ड के अनुसार मौके पर कब्जा बढाने की नियत से दिनांक 27.02.2018 को तहसीलदार, लूणी के समक्ष सीमाकंन के लिए आवेदन–पत्र पेश किया और तहसीलदार ने भू–अभिलेख निरीक्षक, कांकाणी को पत्र लिखकर आदेश जारी किये। जिस पर पटवारी हल्का ने मौके पर आकर जांच किये बिना ही मौके पर विवाद होने की संभावना के कारण पुलिस इमदाद तथा टीम गठित कर पैमाइश करवाना उचित बताया। तहसीलदार, लूणी ने टीम

गठित कर पुलिस इमदाद हेतु थानाधिकारी, बोरानाडा को लिखा। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री एल आर पूनिया ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। तहसीलदार से मूल रेकर्ड प्राप्त कर उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 17.07.2018 को सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक श्री जगदीश प्रजापत ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार द्वारा बिना किसी जांच के तथा पडौसी खातेदारों को नोटिस दिये पुलिस इमदाद से केवल खसरा नं0 8/3, 8/5, 9/3, 9/4 व 9/5 की पैमाइश का सीमाज्ञान का आदेश देने में कानूनी भूल की है तथा उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य बताया। खसरा नं0 8/2, 8/6 की पैमाइश, सीमाज्ञान तथा पत्थरगढी के तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के न्यायालय से स्थगन आदेश होते हुए भी तहसीलदार, लूणी द्वारा उसी खसरा नं0 8 के 8/3 व 8/5 की सीमाज्ञान का आदेश देने में कानून की अवहेलना की है। इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक श्री एल आर पूनिया ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2018 के द्वारा केवल मात्र पैमाइश सर्वे दर्ज से मंगाई गई है तथा जिसके लिए पुलिस इमदाद दिये जाने का आदेश दिया है जो आदेश अंतरिम है तथा अन्तिम आदेश नहीं है इसलिए उपरोक्त अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से चलने योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का भी का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाकंन ज्ञान से संबंधित मूल पत्रावली तहसीलदार, लूणी से प्राप्त किया उक्त पत्रावली का भी अध्ययन किया। इस प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम सालावास के खसरा नं0 9/5, 9/4, 8/4, 8/5 व 9/3 के खातेदार भगवती देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति माहेश्वरी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पैमाइश हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन–पत्र पर पटवारी हल्का सालावास से रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि ग्राम सालावास के खसरा नं0 9/5, 9/4, 8/4, 8/5 व 9/3 वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार भगवती पत्नी पृथ्वीराज जाति माहेश्वरी के नाम दर्ज है। मौके पर विवाद होने की संभावना है। पैमाइश हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होगी व टीम गठित करवाकर पैमाइश करवाना उचित होगा। इस पर

तहसीलदार, लूणी के अपने आदेश क्रंमाक/भूअ/2018/1076 दिनांक 06.03.2018 के द्वारा उक्त भूमि की पैमाइश हेतु टीम गठित कर पैमाइश हेतु दिनांक 20.03.2018 तक पालना पेश करने हेतु जारी किया गया। अगर पैमाइश का कार्य पूर्ण कर भी लिया जाता है तो इससे व्यथित पक्षकार सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर से स्थगन आदेश होने के बावजूद भी तहसीलदार ने पैमाइश हेतु आदेश जारी किया है। इस बाबत् माननीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर ने ग्राम सालावास के खसरा नं0 8/2 व 8/6 में पत्थरगढी व सीमाज्ञान हेतु उपखण्ड अधिकारी, लूणी के आदेश दिनांक 01.02.2018 की पालना एवं प्रभाव को आगामी सुनवाई तिथि तक स्थगित रखे जाने का आदेश पारित हुआ है जबकि तहसीलदार, लूणी ने ग्राम सालावास के खसरा नं0 9/5, 9/4, 8/4, 8/5 व 9/3 के सीमांकन बाबत् किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं किया है।

प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का राजस्व कार्मिको से सीमाज्ञान का विधिक अधिकार है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार, लूणी का आदेश दिनांक 06.03.2018 को बहाल रखा जाता है।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर